

* ई-मेल स्पीड
पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुडको के अधिन 39 ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशनों में Transformer Installation/Fitting and Commissioning with all allied works हेतु कुल ₹409.15000 लाख (चार करोड़ नौ लाख पन्द्रह हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि ₹29.09847 लाख (उनतीस लाख नौ हजार आठ सौ सैंतालीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक-25, दिनांक-07.04.2020 द्वारा मॉनसून, 2020 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पटना नगर निगम एवं आस-पास के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु मशीनों की आपूर्ति, अधिष्ठापन हेतु कुल ₹409.15000 लाख (चार करोड़ नौ लाख पन्द्रह हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-1473 दिनांक-07.04.2020 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं विभागीय राज्यादेश संख्या-19, दिनांक-25.04.2020 द्वारा कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र नगर निगम पटना को उपलब्ध कराया जा चुका है।

2. बुडको के पत्रांक-1997, दिनांक-17.06.2026 द्वारा उक्त योजना की भौतिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अंतिम विपत्र के अनुसार अधियाचित राशि के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ-4 में अंकित अंतिम विपत्र के भुगतान की राशि के विरुद्ध स्तम्भ-6 में अंकित राशि ₹29.09847 लाख (उनतीस लाख नौ हजार आठ सौ सैंतालीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अंतिम विपत्र के अनुसार कुल भुगतान की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि {4-(5+6)}
1	2	3	4	5	6	7
1	Supplying, Installation/Fitting and Commissioning of 39 nos Transformer with all allied works.	409.15	229.09847	200.00	29.09847	0.00
	Total	409.15	229.09847	200.00	29.09847	0.00

अर्थात् कुल स्वीकृत ₹29.09847 लाख (उनतीस लाख नौ हजार आठ सौ सैंतालीस रू०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹29.09847 लाख (उनतीस लाख नौ हजार आठ सौ सैंतालीस रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको, के PL खाता सं०-PTSPLA006, HoA संख्या-00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. स्वीकृत कुल ₹29.09847 लाख (उनतीस लाख नौ हजार आठ सौ सैंतालीस रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष-2215-जलापूर्ति एवं सफाई, उपमुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष-191 नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2215-02-191-0102, विषय शीर्ष-0102.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से की जाएगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व बुडको के संबंधित अभियंता संबंधित नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना की डुप्लिकेसी ना हो।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009- 9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

8. विभागीय पत्रांक-06, दिनांक-07.01.2026 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बुडको द्वारा योजना में प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार राशि का भुगतान योजना में कार्यरत एजेंसी को की जाएगी एवं भुगतान किये जाने वाले एजेंसी (संस्था) के बैंक खाता में भी कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। यदि योजना में किसी प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य जाँच एजेंसी द्वारा

जाँच किया जा रहा है तो प्रत्येक भुगतान की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जाँच एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को आवश्यक उपलब्ध कराया जाय।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के Note#10 पृष्ठ सं०-31/टि० पर दिनांक-01.09.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#16 पृष्ठ सं०-34/टि० पर दिनांक-17.09.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15 / SWD-05-50 / 2026 **179** / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-**28/09/26**

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आर्प सचिव/विभागीय मंत्री के आर्प सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।